संख्या -219 / XII / 2007 / 88(28) / 2005

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून: दिनांक 5 दिसम्बर, 2007

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–2008 में ग्राम पंचायतों अवस्थापना सुविधाओं (पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण) हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 447 / पं0–2 / लेखा0 / 2007–08 दिनांक 23 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए सामान्य अंश हेतु रू0 3,36,68,000–00 (रू0 तीन करोड़, छत्तीस लाख, अड़सठ हजार मात्र), तथा टी.एस.पी. अंश हेतु रू0 17,49,000–00 (रू0 सत्रह लाख उनचास हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 3,54,17,000 (रूपये तीन करोड़ चौवन लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त धनराशि की जनपदवार फांट निर्धारित मानक के अनुसार अपने स्तर से करने का कष्ट करें तथा अतिरिक्त कक्ष उन्हीं पंचायत भवनों में बनाया जायेगा जहाँ पर पूर्व से कोई अतिरिक्त कक्ष निर्मित न हों ।

3. अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एंव निर्धारित नक्शा एवं प्लिंथ एरिया के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्लिंथ एरिया एवं नक्शें में परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये / किये जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा । आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को प्रतिमाह उपलब्ध करायी जायेगी ।

7. बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोरपरचेज रूल्स डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा शेड्यूल / कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

8. धनराशि का आहरण / व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय ।

9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगी।

10. उक्त धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी जाए तथा ऐसे जनपदों / पंचायतों को धनराशि आवंटित की जाए जिन्होंने पूर्व आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया हो।

क्रमशः 2 पर

11. बजट/ धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायतीराज-08-ग्राम पंचायत में अवस्थापना सुविधायें-42-अन्य व्यय में से रू0 3,36,68,000-00 तथा अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-04-ग्राम पंचायत में अवस्थापना सुविधायें -42-अन्य व्यय में से रू0 17,49,000-00 के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 319(P)/XXVII(4)/2007 दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय

(पी0के0 महान्ति)
सचिव ।

संख्या 719/XII/2007/88(28)/2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3.आयुक्त, गढ़वाल एंव कुमाऊँ मण्डल ।
4.समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5.निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून ।
6.निदेशक, वित्त एवं कोषागार , 23 लक्ष्मी रोड उत्तराखण्ड देहरादून ।
7.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उत्तराखण्ड ।
8.वित्त(व्यय -नियत्रंक) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन ।
9.नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10.समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
11.बजट नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
3/12/07
(पी0के0 महान्ति)
सचिव ।

04.03.2016